



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 18480 वर्ष 2025

लव कुश कुमार (होमगार्ड)

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : लाल बाबू, श्वेता गौर

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार,

1. श्रीमती श्वेता गौर, विद्वान अधिवक्ता, याचिकाकर्ता की ओर से तथा श्री बी.के. श्रीवास्तव, विद्वान स्थायी अधिवक्ता, राज्य-प्रत्यर्थियों की ओर से को सुना गया।
2. श्री मनीष कुमार, विद्वान स्थायी अधिवक्ता, द्वारा निर्देश प्रस्तुत किए गए कि उन्हें निर्देशों की पूरी जानकारी है और ये निर्देश रिट याचिका के निस्तारण के लिए पर्याप्त हैं। उन्होंने कोई अतिरिक्त शपथपत्र दाखिल करने का प्रस्ताव नहीं रखा और याचिका का निस्तारण अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर किया जाए। अतः, पक्षकारों की सहमति से रिट याचिका प्रारंभिक स्तर पर निस्तारित की जा रही है।
3. याचिकाकर्ता का प्रकरण यह है कि उन्हें सेवा-काल के दौरान नियमों के अंतर्गत 05.07.2022 को गृह-रक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। तथापि, दो आपराधिक प्रकरण दर्ज किए गए, जिनमें पहला मुकदमा अपराध संख्या 323 वर्ष 2013, धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत और दूसरा मुकदमा अपराध संख्या 107 वर्ष 2014, गाय हत्या अधिनियम की धारा 2/3 के अंतर्गत, दर्ज किया गया। इसके उपरांत याचिकाकर्ता की सेवाओं के समाप्त होने के कारण सेवा निरस्तीकरण हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अब आक्षेपित आदेश जिला कमिशनर, गृह-रक्षक,

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



प्रयागराज द्वारा दिनांक 18.08.2023 के सरकारी आदेश के आधार पर पारित किया गया, जिसमें यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि चूँकि याचिकाकर्ता पर दो आपराधिक प्रकरण हैं, अतः वे अपनी सेवा जारी नहीं रख सकते।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने **रिट-ए संख्या 16186 वर्ष 2024 (महेश सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य)**, दिनांक 26.09.2025 के निर्णय का आधार प्रस्तुत किया, ताकि यह तर्क दिया जा सके कि खंड 5, 6 एवं 8 असंवैधानिक घोषित किए गए हैं।

5. विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि जो भी तर्क प्रस्तुत किए जा रहे हैं, उन्हें प्रारंभिक स्तर पर लिया जा सकता है और अपील तीसरे प्रत्यर्थी, जिला कमिश्नर, गृह-रक्षक, जिला प्रयागराज के समक्ष दायर की जाएगी।

6. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता अपील दायर करेंगे, जिसमें कानूनी और वास्तविक तर्कों पर विचार किया जाएगा।

7. विरोधी पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्कों तथा उनके पक्ष के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, रिट याचिका का **निस्तारण** किया जाता है और याचिकाकर्ता को यह स्वतंत्रता प्रदान की जाती है कि वे रिट याचिका की स्वयं प्रमाणित प्रति के साथ तीसरे प्रत्यर्थी के समक्ष अपील प्रस्तुत करें, जो इसे प्राप्त होने पर दो सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता की अपील का निस्तारण विधि के अनुसार, आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत होने की तिथि से दो माह के भीतर करेंगे। यदि तीसरे प्रत्यर्थी का विचार है कि प्रकरण अन्य प्राधिकरण के समक्ष निस्तारित किया जाना चाहिए, तो अभिलेख उसी प्राधिकरण को भेज दिए जाएंगे।

8. तदनुसार, रिट याचिका का **निस्तारण** किया जाता है।

16 जनवरी, 2026

ए. प्रजापति

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।